

(84)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक :- JDA/AD (R&DP)/2014/D-490

दिनांक :- 27.3.14

-:सूचना:-

अग्रिम लीज जमा कराने पर छूट

जयपुर विकास प्राधिकरण के भूखण्डों के लीजधारकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की अग्रिम शहरी जमाबन्दी दिनांक 31.03.2014 तक जमा कराने पर राजस्थान नगर विकास न्यास(शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974 के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत की छूट देय है। जविप्रा द्वारा राशि जमा करने हेतु राजकीय अवकाश दिवसों में भी कार्यालय खुले रखे जा रहे हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकें।

हृ

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. निदेशक(वित्त/विधि/नगर आयोजना/अभियान्त्रिकी-1, II), जविप्रा, जयपुर
4. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/भूमि/पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी.), जविप्रा, जयपुर
5. विशेषाधिकारी(संसाधन विकास), जविप्रा, जयपुर
6. संयुक्त आयुक्त(संसाधन एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर
7. समस्त उपायुक्त जोन, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आप उक्तानुसार अवकाश दिवसों पर कार्यालय खुलवाकर कार्य संपादन सुनिश्चित करावें।
8. सहायक निदेशक(जनसम्पर्क), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना नियमानुसार राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।
9. लेखाधिकारी(आर.सी.आर.), जविप्रा, जयपुर
10. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण